प्रसार शिक्षा निदेशालय
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय
जोबनेर, जिला–जयपुर (राजस्थान) 303329

दूरभाष: 01425–254035 9414371485

क्रमांक एफ.1 ( ) प्र.शि.नि./श्री.क.न.कृ.वि.वि./2021/ 15250 दिनांक 13.11.2021

खुली नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर में स्थित दो मत्स्य तालाबों में रोहू, कटला, सिल्वर कार्प एवं काँमन कार्प इत्यादि प्रकार की प्रजाति की मछलियाँ करीब 05 से 06 टन है। जिनका औसतन वजन करीब 700 ग्राम से 01 किलोग्राम प्रति मछली हैं। इन सभी मछलियों की **खुली बोली द्वारा नीलामी** की जायेगी। अत: इच्छुक व्यक्ति/ठेकेदार/फर्म **दिनांक 02.12.2021 को प्रात: 11.00 बजे** यथा स्थान पर उपस्थित होकर मौके पर बोली लगा सकते है। बोली में सम्मलित होने के लिये रूपये 10,000/- का डी.डी. या नकद निदेशक प्रसार शिक्षा के नाम बनवाकर या जमा कराकर नीलामी में भाग ले सकते है। खुली नीलामी सूचना को बिना किसी कारण निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

मछलियों की खुली नीलामी की शर्ते निम्न प्रकार से है:-

1. मछलियों की नीलामी प्रति किलो के हिसाब से की जावेगी।
2. ये ठेका नीलामी छुटने के 15 दिवस तक मान्य होगा।
3. मछलियों की प्रारम्भिक नीलामी की बोली 90/- रूपये प्रतिकिलो ग्राम है तथा बोली लगाने से पूर्व बोलीदाता को रूपये 10,000/- धरोहर राशि के रूप में जमा कराने होंगें। असफल बोलीदाता की राशि खुली नीलामी पूर्ण होने पर वापिस कर दी जावेगी। सफल/अधिकतम बोलीदाता की धरोहर राशि को बोली छुटने की राशि में समायोजित करा दिया जावेगा।
4. मछलियों को मत्स्य तालाबों से निकालने का कार्य तथा मछुआरें/जाल/परिवहन/पेकिंग इत्यादि का कार्य स्वयं बोलीदाता/ठेकेदार को ही करना होगा।
5. मछलियों को तोलने पर पानी का भार 10 प्रतिशत कटोती के हिसाब से कम किया जायेगा।
6. मछलियों को निकालने इत्यादि कार्य में घटना/दुर्घटना होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता/ठेकेदार की होगी।
7. सफल बोलीदाता को बोली छुटने के बाद तीन (03) लाख रूपये नकद/डी.डी. द्वारा उसी दिन जमा कराना होगा तथा शेष राशि मछलियां तुलने एवं बिल बनने के तुरन्त बाद में जमा करानी होगी।
8. सफल बोलीदाता से हिसाब से मछली का भाव प्रति किलोग्राम के आधार पर किसी अन्य बोलीदाता या नये ग्राहक को शर्ते पूर्ण करने पर मछली भी दी जा सकेगी जव किन्ही कारणों से सफल बोलीदाता मछली उठाने में असफल रहता है तथा उसकी अमानत राशि भी जब्त हो जायगी|
9. सफल बोलीदाता को मछलियां निकालने से पाँच दिन पूर्व अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करना होगा जिससे मत्स्य तालाबों का जल स्तर नियमानुसार कम कर बोलीदाता/ठेकेदार को तालाबों को सुपुर्द किया जा सके जिससे ठेकेदार को मछलियों को जाल लगाकर आसानी से निकालने में सुविधा हो सके।

(सुदेश कुमार)
निदेशक प्रसार शिक्षा

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक महोदय, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर लेख है की उक्त नीलामी तिथि पर अपना मनोनीत सदस्य भेजने का श्रम करें।
2. श्रीमान कोषाधिकारी महोदय, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
3. श्रीमान संयोजक/ सदस्य नीलामी समिति, प्रसार शिक्षा निदेशालय
4. समस्त सूचना पट्ट/ नगरपालिका/ग्राम पंचायत, जोबनेर .... इत्यादि।
5. इंचार्ज सिमका को भेजकर लेख है की उक्त नीलामी सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं पोर्टल पर अपलोड करने का श्रम करें।
6. श्रीमान कार्यकारी निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सचिवालय-जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त निलामी सूचना को क्षेत्रीय अखबार में छपवाने का श्रम करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक प्रसार शिक्षा